

उचित व्यवहार कोड

परिचय:

आरबीएसजी कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड ("कंपनी" या ऑटोमोनी") एक गैर-प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण गैर-जमा लेने वाली कंपनी ("बेस लेयर") है, कंपनी अपने उधारकर्ताओं के साथ व्यवहार करते समय उचित व्यापार प्रथाओं को स्थापित करने के लिए आरबीआई द्वारा निर्धारित नीतिगत दिशानिर्देशों की समीक्षा करने और उनका पालन करने का प्रयास करती है। तदनुसार, इस फेयर प्रैक्टिस कोड ("FPC" या "कोड") को मास्टर डायरेक्शन - भारतीय रिज़र्व बैंक (नॉन-बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी-स्केल बेस्ड रेगुलेशन) निर्देश, 2023 के अनुसार संशोधित किया गया है। इसलिए, उक्त निर्देशों के अनुपालन में, इस संहिता को समय-समय पर कंपनी के बोर्ड द्वारा तैयार किया गया है, अनुमोदित किया गया है और समीक्षा की गई है। कंपनी हमेशा समय-समय पर सर्वोत्तम व्यावसायिक प्रथाओं को इसमें भारतीय रिज़र्व बैंक के लिए अपडेटेड उचित संशोधन को आरबीआई/2015-16/16 डीएनबीआर (पीडी) सीसी संख्या 054/03.10.119/2015-16 दिनांक 01 जुलाई, 2015 के माध्यम से जारी किया गया है, जिसमें भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने एनबीएफसी को लागू करने के लिए उचित व्यवहार संहिता पर दिशानिर्देशों को संशोधित किया है। यह सब मास्टर डायरेक्शन - नॉन-बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी - नॉन-सिस्टमली इम्पोर्टेंट नॉन-डिपॉजिट टेकिंग कंपनी (रिज़र्व बैंक) डायरेक्शन, 2016 में समेकित किया गया था, जिसे मास्टर डायरेक्शन - भारतीय रिज़र्व बैंक (नॉन-बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी-स्केल बेस्ड रेगुलेशन) डायरेक्शन, 2023 दिनांक 19 अक्टूबर 2023 द्वारा समय-समय पर संशोधित किया गया है। उचित व्यवहार संहिता, जैसा कि नीचे उल्लेख किया गया है, एनबीएफसी के लिए उचित व्यवहार संहिता पर इन दिशानिर्देशों/निर्देशों के अनुरूप है, जैसा कि आरबीआई के उपरोक्त परिपत्र/निर्देश में निहित है। यह उधारकर्ताओं के साथ व्यवहार करते समय कंपनी के लिए पालन करने के लिए न्यूनतम उचित अभ्यास मानक निर्धारित करता है। यह उधारकर्ताओं को निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से जानकारी प्रदान करता है और बताता है कि कंपनी से दिन-प्रतिदिन के आधार पर उनसे कैसे निपटने की उम्मीद की जाती है।

संहिता का उद्देश्य

इस संहिता के विकास के पीछे प्राथमिक उद्देश्य हैं:

- उधारकर्ताओं के साथ व्यवहार करने में अच्छी, निष्पक्ष और भरोसेमंद प्रथाओं को बढ़ावा देना;
- उधारकर्ताओं को इस बात की बेहतर समझ बनाने में सक्षम बनाने के लिए पारदर्शिता बढ़ाएं कि वे सेवाओं से उचित रूप से क्या उम्मीद कर सकते हैं।
- उच्च परिचालन मानकों को प्राप्त करने के लिए प्रतिस्पर्धा के माध्यम से बाजार शक्तियों को प्रोत्साहित करना;
- उधारकर्ताओं और कंपनी के बीच एक निष्पक्ष और सौहार्दपूर्ण संबंध को बढ़ावा देना।

गोपनीयता

- जब तक उधारकर्ताओं द्वारा अधिकृत नहीं किया जाता है, तब तक कंपनी सभी व्यक्तिगत जानकारी को निजी और गोपनीय मानेगी।
- कंपनी निम्नलिखित असाधारण मामलों के अलावा समूह के भीतर सहित किसी अन्य इकाई को लेनदेन विवरण प्रकट नहीं करेगी।

RBSG CAPITAL PRIVATE LIMITED

CIN: U65999MH2017PTC302565

Registered Office: 1002, Floor-10, Marathon Icon, Off, Ganpatrao Kadam Marg, Opp Peninsula Corporate Park, Lower Parel (W), Mumbai-400013

Email Id: rishabb@automony.in

- यदि कंपनी को वैधानिक या नियामक कानूनों द्वारा जानकारी प्रदान करनी है,
- यदि इस जानकारी को प्रकट करने के लिए जनता का कर्तव्य है।
- यदि इसके हित के लिए हमें यह जानकारी प्रदान करने की आवश्यकता है (उदाहरण के लिए धोखाधड़ी की रोकथाम)।
- कंपनी विपणन उद्देश्यों के लिए किसी और (समूह कंपनियों सहित) को उधारकर्ताओं के बारे में जानकारी देने के लिए इस कारण का उपयोग नहीं करेगी।
- यदि उधारकर्ताओं ने अन्य उत्पाद या सेवाएं प्रदान करने के लिए अपने समूह/सहयोगी/संस्थाओं या कंपनियों को ऐसी जानकारी प्रदान करने/साझा करने के लिए सहमति/सहमति दी है।
- जहां उधारकर्ता हमें अन्य सेवाएं या उत्पाद प्रदान करने के लिए अपने समूह/सहयोगी/संस्थाओं या कंपनियों को ऐसी जानकारी प्रकट करने के लिए कहते हैं।

एक. कंपनी की प्रमुख प्रतिबद्धताएं और घोषणाएं:

एक.एक. वित्तीय गतिविधियों के संचालन में ईमानदारी, निष्पक्ष और यथोचित रूप से कार्य करना और हमारे उधारकर्ताओं को अखंडता और पारदर्शिता के नैतिक सिद्धांतों पर व्यवहार करना।

एक.दो. लिंग, नस्ल, जाति, धर्म या भाषा के आधार पर ग्राहकों के साथ भेदभाव नहीं करना और सभी ग्राहकों के साथ लगातार और निष्पक्ष व्यवहार करना।

एक.तीन. कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में नोटिस बोर्ड पर फेयर प्रैक्टिस कोड को प्रमुखता से प्रदर्शित करना और अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए सिस्टम स्थापित करना। इसके अलावा, कंपनी हमेशा अपने ग्राहकों से नए विचारों और सुझावों का स्वागत करती है। इसके लिए सुझाव पेटियां रजिस्ट्रार कार्यालयों में रखी जाती हैं।

एक.चार. लेखा बही-खाता के रखरखाव में पारदर्शिता सुनिश्चित करना और योग्य लेखा परीक्षकों द्वारा वित्तीय विवरणों का प्रकटीकरण करना।

निदेशक मंडल और ऑटोमोनी की प्रबंधन टीम एफपीसी को लागू करने के लिए जिम्मेदार है और यह भी सुनिश्चित करने के लिए कि इसका संचालन निष्पक्ष और न्यायसंगत तरीके से पेशकश करने के लिए सभी हितधारकों के प्रति अपनी मजबूत प्रतिबद्धता को दर्शाता है, ऑटोमोनी के रूप में ऋण देने सहित विभिन्न वित्तीय सेवाएं और उत्पाद समय-समय पर प्रदान कर सकते हैं और यह कि सभी ऑटोमोनी कर्मचारी/प्रतिनिधि इस प्रतिबद्धता से अवगत होंगे।

दो. ऋण प्राप्त करने और उनके प्रसंस्करण के लिए आवेदन

अ) उधारकर्ता के लिए सभी संचार स्थानीय भाषा या उधारकर्ता द्वारा समझी जाने वाली भाषा में होंगे।

आ) सभी ऋण आवेदन पत्रों में सभी आवश्यक जानकारी होगी, विशेष रूप से ब्याज दर, प्रसंस्करण शुल्क, बीमा शुल्क, दंड प्रभार और अतिदेय शुल्क और ऐसे अन्य शुल्क जो उधारकर्ता के ब्याज को प्रभावित करते हैं, ताकि वह अन्य एनबीएफसी द्वारा पेश किए गए नियमों और शर्तों के साथ एक सार्थक तुलना कर सके ताकि उधारकर्ता द्वारा एक सूचित निर्णय लिया जा सके। ऋण आवेदन पत्र आवेदन पत्र के साथ जमा किए जाने वाले आवश्यक दस्तावेजों को

इ) ~~आवेदन पत्र~~ योग्य आवेदकों को क्रेडिट प्रदान करेगा जो अपने ऋण अनुरोध पत्र के माध्यम से उधार लेने की आवश्यकता व्यक्त करते हैं।

ई) कंपनी ऋण आवेदनों और अन्य दस्तावेजों की प्राप्ति के लिए पावती देगी। कंपनी ऋण आवेदन को संसाधित करने के लिए किसी भी जानकारी और दस्तावेज के लंबित होने के बारे में पार्टी को सूचित करेगी। ऋण आवेदन पर निर्णय पूर्ण ऋण आवेदन प्राप्त होने की तारीख से 30 दिनों के भीतर नहीं लिया जाएगा। ऋण आवेदन को पूर्ण माना जाएगा, एक बार सभी जानकारी विधिवत प्राप्त हो गई है और भर दी गई है और आवश्यक दस्तावेज जमा किए गए हैं और स्वीकार्य पाए गए हैं। ऋण आवेदन और पावती में वह समय सीमा शामिल होगी जिसके भीतर ऋण आवेदनों का

उ) ~~आवेदन को संसाधित~~ अधिकारी का संपर्क नंबर दिया जाएगा, जिससे वह ऋण प्रक्रिया में विकास के बारे में पूछताछ कर सकता है।

RBSG CAPITAL PRIVATE LIMITED

CIN: U65999MH2017PTC302565

Registered Office: 1002, Floor-10, Marathon Icon, Off, Ganpatrao Kadam Marg, Opp Peninsula Corporate Park, Lower Parel (W), Mumbai-400013

Email Id: rishabb@automony.in

तीन. ऋण मूल्यांकन और नियम/शर्तें

- कंपनी उधारकर्ता को स्थानीय भाषा में लिखित रूप में बताएगी, जैसा कि उधारकर्ता द्वारा स्वीकृति पत्र या अन्यथा के माध्यम से समझा जाता है, ब्याज की वार्षिक दर की राशि, वार्षिक प्रतिशत दर (एपीआर) और उसके आवेदन की विधि और उधारकर्ता द्वारा इन नियमों और शर्तों की स्वीकृति को अपने रिकॉर्ड पर रखेगी। **कंपनी ऋण समझौते**
- उधारकर्ता के साथ अनुबंध/ऋण समझौते में कानूनी रूप से लागू करने योग्य पुनः कब्जा खंड प्रदान करेगी। पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए, अनुबंध/ऋण समझौते के नियमों और शर्तों में निम्नलिखित प्रावधान भी शामिल होने चाहिए: (ए) कब्जा लेने से पहले नोटिस अवधि; (ख) किन-किन परिस्थितियों में नोटिस की अवधि को माफ किया जा सकता है; (ग) प्रतिभूति को अपने कब्जे में लेने की प्रक्रिया क्या है; (घ) परिसंपत्तियों की बिक्री/नीलामी से पहले ऋण की अदायगी के लिए उधारकर्ता को दिए जाने वाले अंतिम अवसर के संबंध में कोई उपबंध; (ङ) उधारकर्ता को ऋण देने की प्रक्रिया क्या है और ऋण परिसंपत्तियों की बिक्री/नीलामी की प्रक्रिया क्या है।
- एनबीएफसी 15 अप्रैल, 2024 के 'ऋण और अग्रिमों के लिए मुख्य तथ्य विवरण (केएफएस)' पर परिपत्र में निहित निर्देशों का पालन करेंगे।
- कंपनी ऋण समझौते की एक प्रति संलग्नकों के साथ प्रस्तुत करेगी, यदि कोई हो, अधिमानतः स्थानीय भाषा में जैसा कि उधारकर्ता द्वारा समझा जाता है, साथ ही ऋण की मंजूरी/संवितरण के समय सभी उधारकर्ताओं को ऋण समझौते में उद्धृत सभी संलग्नकों में से प्रत्येक की एक प्रति प्रस्तुत करेगी।
- समझौते को सुदृढ़ करने के लिए, कंपनी आवेदन, मंजूरी और संवितरण के समय नियम और शर्तें, और जिम्मेदारियों को दोहराएगी।
- उधारकर्ता को समझाए गए नियम और शर्तों में शामिल हैं, लेकिन निम्नलिखित तक सीमित नहीं हैं:
 - ऋण की अदायगी का तरीका।
 - ऋण राशि और अवधि, ब्याज दर, वार्षिक प्रतिशत दर, आवेदन की प्रसंस्करण शुल्क विधि के साथ-साथ आकस्मिक शुल्क सहित अन्य शुल्क।
 - पुनर्भुगतान की आवृत्ति - चाहे साप्ताहिक, पाक्षिक या मासिक (उधारकर्ता के विकल्प पर)।
 - सह-उधारकर्ता/गारंटर के मामले में, चूक के मामले में उनकी जिम्मेदारी।
 - कंपनी द्वारा संवितरित निधियों में से उधारकर्ता द्वारा बनाए गए पोर्टफोलियो का पूल विवरण प्रस्तुत करना।
- कंपनी ऋण की शर्तों में किसी भी बदलाव के लिए उचित सूचना देने का वचन देती है, विशेष रूप से ब्याज दर और आवधिकता, किस्तों की मात्रा और ऋण की अवधि/(ऋण प्रक्रिया/प्रक्रियाओं में कोई परिवर्तन)।

चार. विपणन और उत्पाद तालमेल

- स्पष्टता, निष्पक्षता, तर्कसंगतता और गैर-भ्रामक अभ्यावेदन सुनिश्चित करने के लिए सभी विज्ञापन और प्रचार सामग्री की सावधानीपूर्वक समीक्षा की जाएगी। हम अपने सभी मार्केटिंग प्रयासों में पारदर्शिता और अखंडता बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध हैं।
- हमारी कंपनी अपने उधारकर्ताओं को वित्तीय उत्पादों की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान करने के लिए समर्पित है जिसके लिए वे पात्र हैं। इन पेशकशों में हमारी कंपनी द्वारा आंतरिक रूप से विकसित उत्पादों और सेवाओं के साथ-साथ हमारे समूह या संबद्ध कंपनियों के भीतर संबद्ध संस्थाओं द्वारा और बाहरी संगठनों के साथ रणनीतिक सहयोग के माध्यम से पेश किए गए उत्पाद और सेवाएं शामिल हैं।
- हम हमारे उद्देश्य हैं कि हम अपने उत्पादों को साक्षर रूप से विकसित करने के अवसरों को बढ़ावा देकर विभिन्न वित्तीय सेवाओं और उत्पादों के बीच तालमेल को बढ़ावा दें। इस दृष्टिकोण के माध्यम से, हम अपने विविध उत्पाद पोर्टफोलियो के लाभों को अधिकतम करते हुए अपने उधारकर्ताओं के लिए समग्र मूल्य प्रस्ताव को बढ़ाने का प्रयास

पाँच. बिक्री उत्पत्ति

RBSG CAPITAL PRIVATE LIMITED

CIN: U65999MH2017PTC302565

Registered Office: 1002, Floor-10, Marathon Icon, Off, Ganpatrao Kadam Marg, Opp Peninsula Corporate Park, Lower Parel (W), Mumbai-400013

Email Id: rishabb@automony.in

अपने उधारकर्ताओं को उन उत्पादों और सेवाओं का चयन करने के लिए मार्गदर्शन करने में जो उनकी आवश्यकताओं के लिए सबसे उपयुक्त हैं, हम निम्नलिखित प्रक्रियाओं का पालन करते हैं:

- उन सेवाओं और उत्पादों की प्रमुख विशेषताओं का विवरण देते हुए व्यापक जानकारी प्रदान करें जिनमें उधारकर्ताओं ने रुचि व्यक्त की है।
- उधारकर्ताओं की विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुरूप खातों, उत्पादों और सेवाओं के बारे में जानकारी प्रदान करें।
- हमारे "अपने ग्राहक को जानें" मानदंडों को पूरा करने और प्रचलित कानूनी और नियामक दायित्वों का पालन करने के लिए उधारकर्ताओं से आवश्यक जानकारी को स्पष्ट रूप से रेखांकित करें।
- डेटाबेस उद्देश्यों के लिए उधारकर्ताओं और उनके परिवार के बारे में सम्मानपूर्वक अतिरिक्त जानकारी का अनुरोध करें, जिसे उधारकर्ता स्वेच्छा से प्रदान कर सकते हैं।

जन्म। कंपनी हमारे उत्पादों और सेवाओं तक पहुंचने के लिए उपलब्ध विभिन्न चैनलों के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। इसके अतिरिक्त, हम यह सुनिश्चित करते हैं कि उधारकर्ताओं को इस बारे में सूचित किया जाए कि वे इन चैनलों के बारे में अधिक जानकारी कहां से प्राप्त कर सकते हैं।

c. किसी उधारकर्ता द्वारा किसी उत्पाद के चयन पर, हम इसकी कार्यक्षमता और संचालन पर स्पष्ट मार्गदर्शन प्रदान करेंगे, यह सुनिश्चित करते हुए कि उधारकर्ता पूरी तरह से समझते हैं कि यह कैसे काम करता है।

d. हमारी कंपनी उधारकर्ताओं को उनके अधिकारों और जिम्मेदारियों के बारे में मार्गदर्शन करने के लिए समर्पित है, जिसके तहत उत्पाद को चुना जाता है। हम यह सुनिश्चित करते हैं कि उधारकर्ताओं को अच्छी तरह से सूचित किया जाए और उनके वित्तीय लक्ष्यों और परिस्थितियों के अनुरूप निर्णय लेने के लिए सशक्त बनाया जाए।

छः. ऋणों का संवितरण, जिसमें नियम और शर्तों में परिवर्तन शामिल हैं।

अ) कंपनी उधारकर्ता को स्थानीय भाषा में नोटिस देगी जैसा कि उधारकर्ता द्वारा समझा जाता है, संवितरण अनुसूची, ब्याज दरों और आवधिकता, सेवा शुल्क, पूर्व भुगतान शुल्क आदि सहित नियमों और शर्तों में किसी भी बदलाव के बारे में। कंपनी यह भी सुनिश्चित करेगी कि ब्याज दरों और शुल्कों में बदलाव केवल संभावित रूप से हो। इस संबंध में एक

आ) समझौते के तहत भुगतान या प्रदर्शन को वापस लेने/तेज करने या अतिरिक्त प्रतिभूतियों की मांग करने का निर्णय लेने से पहले, कंपनी को उधारकर्ताओं को 7 दिनों का नोटिस देना चाहिए

इ) कंपनी सभी बकाया राशि के पुनर्भुगतान पर या ऋण की बकाया राशि की वसूली पर सभी प्रतिभूतियों को जारी करेगी, जो किसी भी वैध अधिकार या किसी अन्य दावे के लिए ग्रहणाधिकार के अधीन है जो कंपनी के उधारकर्ता के खिलाफ हो सकती है। यदि सेट ऑफ के ऐसे अधिकार का प्रयोग किया जाना है, तो उधारकर्ता को शेष दावों और उन शर्तों के बारे में पूर्ण विवरण के साथ इसके बारे में नोटिस दिया जाएगा जिनके तहत कंपनी प्रतिभूतियों को तब तक बनाए रखने

ई) कीमतों को बाह्य बाजारों के बाजारों के आधार पर निर्धारित किया जाएगा और ऋण पर चूक के परिणामों के बारे में स्पष्ट रूप से सूचित करेगी।

सात. ऋणों की वसूली

अ) कंपनी यह सुनिश्चित करेगी कि प्रदर्शन के आधार पर भुगतान को वापस लेने/तेज करने का उसका निर्णय ऋण समझौते के अनुरूप हो।

आ) अपने उधारकर्ता की बकाया राशि की वसूली के मामले में, कंपनी अनुचित उत्पीड़न का सहारा नहीं लेगी, जैसे कि उधारकर्ता को विषम समय पर लगातार परेशान करना, ऋण की वसूली के लिए बाहुबल का उपयोग करना, आदि। कंपनी यह सुनिश्चित करेगी कि कर्मचारियों को उधारकर्ताओं के साथ उचित तरीके से व्यवहार करने के लिए पर्याप्त रूप से प्रशिक्षित किया गया है।

RBSG CAPITAL PRIVATE LIMITED

CIN: U65999MH2017PTC302565

Registered Office: 1002, Floor-10, Marathon Icon, Off, Ganpatrao Kadam Marg, Opp Peninsula Corporate Park, Lower Parel (W), Mumbai-400013

Email Id: rishabb@automony.in

- इ) एक ऋणदाता के रूप में अपने अधिकारों को सख्ती से लागू करते हुए, कंपनी विनम्र भाषा में विश्वास करती है और अपमानजनक और कठोर शब्दों के उपयोग को छोड़ देती है।
- ई) कंपनी सभी प्रतिभूतियों को जारी करने का वचन देती है यदि कोई हो, सभी बकाया राशि के पुनर्भुगतान पर या ऋण की बकाया राशि की वसूली पर, उधारकर्ता के खिलाफ किसी भी अन्य दावों के लिए किसी भी वैध अधिकार या ग्रहणाधिकार के अधीन। कंपनी अपने उधारकर्ताओं को उनके द्वारा चुने गए उत्पाद/सेवाओं को नियंत्रित करने वाले किसी भी नियम और शर्तों के उल्लंघन के मामले में लगाए जाने वाले दंड के बारे में जानकारी प्रदान करेगी और उनके
- उ) ऋण से चुने गए उत्पाद/सेवाओं के लिए किसी भी शर्तों को लागू करने के लिए उधारकर्ता को सूचित करेगी और उनके दावों के बारे में पूर्ण विवरण के साथ इसके बारे में नोटिस दिया जाए और उन शर्तों के तहत जिनके तहत कंपनी प्रतिभूतियों को बनाए रखने की हकदार है, यदि कोई हो, जब तक कि संबंधित दावे का निपटान/भुगतान नहीं किया जाता है।

आठ. गोपनीयता और गोपनीयता

एक. क्रेडिट संदर्भ एजेंसियां/क्रेडिट सूचना कंपनियां (सीआईसी):

अ. कंपनी नियामक निर्देशों/दिशानिर्देशों या कंपनी की आंतरिक नीतियों के अनुसार क्रेडिट सूचना कंपनियों को अपने उधारकर्ताओं के ऋण और पुनर्भुगतान ट्रैक रिकॉर्ड का विवरण साझा कर सकती है।

आ. कंपनी क्रेडिट सूचना कंपनियों के साथ व्यक्तिगत ऋणों के बारे में जानकारी साझा कर सकती है जो

उधारकर्ताओं को देना है यदि:

१. उधारकर्ता अपने भुगतान से पीछे रह गए हैं

२. बकाया राशि विवाद में नहीं है

३. बकाया राशि की अदायगी की हमारी औपचारिक मांग के बाद उधारकर्ताओं ने भुगतान नहीं किया है।

इ. साथ ही, कंपनी के प्रतिनिधि उधारकर्ताओं को सीआईसी की भूमिका और उनके द्वारा प्रदान की जाने वाली जानकारी के प्रभाव के बारे में बताएंगे कि उधारकर्ताओं के क्रेडिट स्कोर और क्रेडिट प्राप्त करने की क्षमता पर क्या प्रभाव पड़ सकता है।

ई. कंपनी उधारकर्ता के खाते के बारे में सीआईसी को जानकारी देगी यदि उधारकर्ताओं ने ऐसा करने की अनुमति दी है या वैधानिक/नियामक आवश्यकताएं ऐसा निर्धारित करती हैं।

दो. जानकारी साझा करना:

अ. कंपनी अपने समूह/सहयोगी पात्रताओं या कंपनियों को ऐसी जानकारी प्रदान कर सकती है जिनके लिए उसने ऋण आवेदन/स्वीकृति पत्र/सबसे महत्वपूर्ण नियम और शर्तों/ऋण समझौते के तहत अपने उधारकर्ताओं से

सहमति/अनुमति प्राप्त की है।

आ. कंपनी उधारकर्ताओं की व्यक्तिगत जानकारी को निजी और गोपनीय के रूप में मानेगी, भले ही उधारकर्ता अब सहयोगी न हों। हम उधारकर्ताओं के डेटा या जानकारी को किसी को भी प्रकट नहीं करेंगे, जैसा कि निम्नलिखित

असाधारण मामलों में ऊपर दिया गया है;

१. कानून द्वारा आवश्यक

२. सूचना प्रकट करने के लिए जनता के प्रति कर्तव्य;

३. कंपनी के हित में जानकारी देने की आवश्यकता है

४. कंपनी के पास उधारकर्ताओं की सहमति/अनुमति है

इ. कंपनी के प्रतिनिधि उधारकर्ताओं को भारत के कानूनों के तहत उनके अधिकारों/देनदारियों के बारे में सूचित करेंगे ताकि कंपनी के पास उनके बारे में मौजूद व्यक्तिगत रिकॉर्ड तक पहुंच प्राप्त हो सके;

कंपनी विपणन उद्देश्यों के लिए उधारकर्ताओं की व्यक्तिगत जानकारी का उपयोग तब तक नहीं करेगी जब तक कि उधारकर्ता हमें ऐसा करने के लिए विशेष रूप से अधिकृत नहीं करते।

नौ. जिम्मेदार ऋण आचरण- ऋणों के पुनर्भुगतान/निपटान पर जंगम/अचल संपत्ति दस्तावेजों को जारी करना

RBSG CAPITAL PRIVATE LIMITED

CIN: U65999MH2017PTC302565

Registered Office: 1002, Floor-10, Marathon Icon, Off, Ganpatrao Kadam Marg, Opp Peninsula Corporate Park, Lower Parel (W), Mumbai-400013

Email Id: rishabb@automony.in

- अ) कंपनी सभी मूल चल/अचल संपत्ति दस्तावेजों को जारी करेगी और ऋण खाते के पूर्ण पुनर्भुगतान/निपटान के बाद 30 दिनों की अवधि के भीतर किसी भी रजिस्ट्री में पंजीकृत शुल्क को हटा देगी।
- आ) उधारकर्ता को मूल चल/अचल संपत्ति दस्तावेजों को या तो बैंकिंग आउटलेट/शाखा से एकत्र करने का विकल्प दिया जाएगा जहां ऋण खाते की सेवा की गई थी या कंपनी के किसी अन्य कार्यालय जहां दस्तावेज उपलब्ध हैं, उसकी पसंद के अनुसार।
- इ) मूल चल/अचल संपत्ति दस्तावेजों की वापसी की समय-सीमा और स्थान का उल्लेख प्रभावी तिथि को या उसके बाद जारी किए गए ऋण स्वीकृति पत्रों में किया जाएगा।
- ई) एकमात्र उधारकर्ता या संयुक्त उधारकर्ताओं की मृत्यु की आकस्मिक घटना का समाधान करने के लिए, कंपनी के पास कानूनी उत्तराधिकारियों को मूल चल/अचल संपत्ति दस्तावेजों की वापसी के लिए एक निर्धारित प्रक्रिया है। इस तरह की प्रक्रिया उधारकर्ताओं की जानकारी के लिए अन्य समान नीतियों और प्रक्रियाओं के साथ कंपनी की वेबसाइट पर प्रदर्शित की जाएगी।
- उ) मूल चल/अचल संपत्ति दस्तावेजों को जारी करने में देरी के मामले में या ऋण के पूर्ण पुनर्भुगतान/निपटान के 30 दिनों के बाद प्रासंगिक रजिस्ट्री के साथ शुल्क संतुष्टि फॉर्म दाखिल करने में विफल रहने के मामले में, कंपनी उधारकर्ता को इस तरह की देरी के कारणों के बारे में सूचित करेगी। ऐसे मामले में जहां देरी कंपनी के कारण होती है, वह उधारकर्ता को देरी के प्रत्येक दिन के लिए ₹5,000 की दर से मुआवजा देगी।
- ऊ) मूल चल/अचल संपत्ति दस्तावेजों के नुकसान/क्षति के मामले में, या तो आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से, कंपनी उधारकर्ता को चल/अचल संपत्ति दस्तावेजों की डुप्लिकेट/प्रमाणित प्रतियां प्राप्त करने में सहायता करेगी और ऊपर खंड (ii) में दर्शाए गए मुआवजे का भुगतान करने के अलावा, संबंधित लागतों को वहन करेगी। हालांकि, ऐसे मामलों में, इस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए कंपनी को 30 दिनों का अतिरिक्त समय उपलब्ध होगा और विलंबित अवधि के दंड की गणना उसके बाद (यानी, कुल 60 दिनों की अवधि के बाद) की जाएगी।
- ऋ) इन निर्देशों के तहत प्रदान किया गया मुआवजा किसी भी लागू कानून के अनुसार कोई अन्य मुआवजा प्राप्त करने के लिए उधारकर्ता के अधिकारों के प्रति प्रतिकूल प्रभाव के बिना होगा।

दस. ग्राहक सुरक्षा सिद्धांत

क) कंपनी यह सुनिश्चित करने के लिए उचित कदम उठाएगी कि ऋण केवल तभी बढ़ाया जाएगा जब उधारकर्ताओं ने चुकाने की पर्याप्त क्षमता का प्रदर्शन किया हो और ऋण उधारकर्ताओं को अति-ऋणग्रस्तता के महत्वपूर्ण जोखिम में नहीं डालेंगे। इसी तरह, कंपनी पर्याप्त ध्यान रखेगी कि कम आय वाले ग्राहकों को दिए गए गैर-क्रेडिट वित्तीय उत्पाद (जैसे बीमा) उपयुक्त हैं।

बी) वित्तीय उत्पादों के मूल्य निर्धारण, नियम और शर्तें (ब्याज शुल्क, बीमा प्रीमियम, सभी शुल्क आदि सहित) पारदर्शी होंगी और ग्राहकों को समझने योग्य आवेदन पत्र में पर्याप्त रूप से प्रकट की जाएंगी।

ग) व्यक्तिगत ग्राहक डेटा की गोपनीयता का सम्मान किया जाएगा, और इस तरह के डेटा का उपयोग निम्नलिखित असाधारण मामलों के अलावा ग्राहक की स्पष्ट अनुमति के बिना अन्य उद्देश्यों के लिए नहीं किया जा सकता है:

- यदि हमें सांविधिक या नियामक कानूनों द्वारा जानकारी प्रदान करनी है
- यदि इस जानकारी को प्रकट करने के लिए जनता का कर्तव्य है
- यदि हमारे हित के लिए हमें बैंकों/वित्तीय संस्थानों/हमारे समूह और सहयोगी कंपनियों को यह जानकारी (जैसे धोखाधड़ी की रोकथाम) प्रदान करने की आवश्यकता है।

RBSG CAPITAL PRIVATE LIMITED

CIN: U65999MH2017PTC302565

Registered Office: 1002, Floor-10, Marathon Icon, Off, Ganpatrao Kadam Marg, Opp Peninsula Corporate Park, Lower Parel (W), Mumbai-400013

Email Id: rishabb@automony.in

- हम विपणन उद्देश्यों के लिए किसी और को उधारकर्ताओं के बारे में जानकारी देने के लिए इस कारण का उपयोग नहीं करेंगे।

ग्यारह. शिकायत निवारण तंत्र

- अ) कंपनी संगठन के भीतर उपयुक्त शिकायत निवारण तंत्र निर्धारित करेगी। इस तरह के तंत्र को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कंपनी के संस्थानों के पदाधिकारियों के निर्णयों से उत्पन्न होने वाले सभी विवादों को कम से कम अगले उच्च स्तर पर सुना और निपटाया जाए।
- आ) निदेशक मंडल को उचित व्यवहार संहिता के अनुपालन और प्रबंधन के विभिन्न स्तरों पर शिकायत निवारण तंत्र के कार्यकरण की आवधिक समीक्षा का भी प्रावधान करना चाहिए। ऐसी समीक्षाओं की एक समेकित रिपोर्ट नियमित अंतराल पर बोर्ड को प्रस्तुत की जा सकती है, जैसा कि इसके द्वारा निर्धारित किया जा सकता है।
- इ) उधारकर्ताओं के लाभ के लिए, कंपनी की सभी शाखाओं/स्थानों पर, जहां व्यवसाय का लेन-देन किया जाता है, निम्नलिखित जानकारी प्रमुखता से प्रदर्शित की जाएगी:

यानी, शिकायत निवारण अधिकारी का नाम और संपर्क विवरण (टेलीफोन/मोबाइल नंबर के साथ-साथ ईमेल पता भी) जिनसे कंपनी के खिलाफ शिकायतों के समाधान के लिए संपर्क किया जा सकता है।

ii. यदि उधारकर्ता की शिकायत/चिंता का निवारण 30 दिनों की अवधि के भीतर नहीं किया जाता है, तो उधारकर्ता आरबीआई सीएमएस पोर्टल पर शिकायत दर्ज कर सकता है - <https://cms.rbi.org.in>

स्तर 1 वृद्धि:

उधारकर्ताओं की किसी भी शिकायत/शिकायत के मामले में, उनके द्वारा शिकायत निवारण अधिकारी को लिखित रूप में सूचित किया जाएगा। शिकायत निवारण अधिकारी 15 दिनों के भीतर शिकायतों के निवारण के लिए तुरंत सभी प्रयास करेंगे।

शिकायत निवारण अधिकारी सह नोडल अधिकारी

श्री श्रीरंग दाते

मुख्य जोखिम अधिकारी

grievanceredressal@automony.in

022-49733139

(सुबह 10:00 बजे से शाम 05:00 बजे के बीच, सार्वजनिक छुट्टियों को छोड़कर सोमवार से शुक्रवार तक)

यदि दिए गए समय के भीतर शिकायत का समाधान नहीं किया जाता है या उधारकर्ता उपरोक्त चैनल के माध्यम से प्रदान किए गए समाधान से संतुष्ट नहीं है, तो उधारकर्ता निम्नलिखित से संपर्क कर सकता है:

स्तर 2 वृद्धि:

नीचे दिए गए संपर्क विवरण पर कंपनी के निदेशक:

श्री ऋषभ बाफना

निदेशक

rishabb@automony.in

(सुबह 10:00 बजे से शाम 05:00 बजे के बीच, सार्वजनिक छुट्टियों को छोड़कर सोमवार से शुक्रवार तक)

RBSG CAPITAL PRIVATE LIMITED

CIN: U65999MH2017PTC302565

Registered Office: 1002, Floor-10, Marathon Icon, Off, Ganpatrao Kadam Marg, Opp Peninsula Corporate Park, Lower Parel (W), Mumbai-400013

Email Id: rishabb@automony.in

उधारकर्ता को 15 दिनों के भीतर जवाब मिल जाएगा। कृपया इस संबंध में अपने पहले के संचार के संदर्भ को उद्धृत करें।

स्तर 3 वृद्धि:

यदि उधारकर्ता अभी भी ऊपर बताए गए विभिन्न चैनलों के माध्यम से प्रदान किए गए समाधान से संतुष्ट नहीं है या यदि शिकायत का निवारण 30 दिनों की अवधि के भीतर नहीं किया जाता है, तो शिकायतकर्ता लोकपाल योजना के तहत केंद्रीकृत रसीद और प्रसंस्करण केंद्र में शिकायत कर सकता है, जिसके अधिकार क्षेत्र में आरबीएसजी कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड का पंजीकृत कार्यालय आता है।

योजना के तहत ऑनलाइन की गई शिकायतों को पोर्टल (<https://cms.rbi.org.in>) पर पंजीकृत किया जाएगा। डाक और हाथ से सुपुर्द की गई शिकायतों सहित इलेक्ट्रॉनिक मोड (ई-मेल) और भौतिक रूप में शिकायतों को संबोधित किया जाएगा और जांच और प्रारंभिक प्रक्रिया के लिए उस स्थान पर भेजा जाएगा जहां रिज़र्व बैंक का केंद्रीकृत रसीद और प्रसंस्करण केंद्र स्थापित किया गया है।

स्तर 4 वृद्धि:

वैकल्पिक रूप से, ग्राहक क्षेत्रीय कार्यालय के प्रभारी अधिकारी से अपील कर सकता है भारतीय रिज़र्व बैंक का गैर-बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग निम्नलिखित विवरण के अनुसार किसके अंतर्गत अधिकार क्षेत्र कंपनी का पंजीकृत कार्यालय गिरता है।

प्रभारी अधिकारी
भारतीय रिज़र्व बैंक,
गैर-बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग,
केंद्रीय कार्यालय केंद्र I,
वर्ल्ड ट्रेड सेंटर,
कफ परेड,
कोलाबा, मुंबई – 400005

बारह. रिज़र्व बैंक – एकीकृत लोकपाल योजना, 2021

मुख्य विशेषताएं:

भारतीय रिज़र्व बैंक की अधिसूचना संख्या 10 के अनुसार। सीईपीडी। पीआरडी। संख्या S873/13.01.001/2021-22 दिनांक 12 नवंबर, 2021, एकीकृत लोकपाल योजना, 2021 (लोकपाल योजना, 2021) 12 नवंबर, 2021 से प्रभावी है। लोकपाल योजना, 2021 ने आरबीआई लोकपाल तंत्र को तटस्थ बनाकर 'एक राष्ट्र एक लोकपाल' दृष्टिकोण अपनाया है। लोकपाल योजना, 2021 ने आरबीआई की तीन लोकपाल योजनाओं को एकीकृत किया है।
(i) गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए लोकपाल योजना, 2008;
(ii) गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए लोकपाल योजना, 2018; तथा
(iii) डिजिटल लेन-देन के लिए लोकपाल योजना, 2019

लोकपाल योजना 2021 के तहत शिकायत निवारण की प्रक्रिया:

एक. शिकायत के आधार:

विनियमित इकाई के किसी भी कार्य/चूक के परिणामस्वरूप सेवा में कमी के कारण व्यक्तिगत रूप से या

RBSG CAPITAL PRIVATE LIMITED

CIN: U65999MH2017PTC302565

Registered Office: 1002, Floor-10, Marathon Icon, Off, Ganpatrao Kadam Marg, Opp Peninsula Corporate Park, Lower Parel (W), Mumbai-400013

Email Id: rishabb@automony.in

किसी प्राधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से शिकायत दर्ज की जा सकती है।

"अधिकृत प्रतिनिधि" का अर्थ है एक वकील के अलावा एक व्यक्ति (जब तक कि वकील पीड़ित व्यक्ति न हो) लोकपाल के समक्ष कार्यवाही में शिकायतकर्ता का प्रतिनिधित्व करने के लिए विधिवत नियुक्त और लिखित रूप में अधिकृत किया गया हो।

दो. लोकपाल योजना, 2021 के तहत शिकायत तब तक नहीं होगी जब तक:

१. शिकायतकर्ता ने योजना के तहत शिकायत करने से पहले संबंधित विनियमित इकाई को लिखित शिकायत की थी और
 - अ. शिकायत को पूरी तरह से या आंशिक रूप से विनियमित इकाई द्वारा खारिज कर दिया गया था, और शिकायतकर्ता उत्तर से संतुष्ट नहीं है; या शिकायतकर्ता को विनियमित इकाई को शिकायत प्राप्त होने के 30 दिनों के भीतर कोई जवाब नहीं मिला था; तथा
 - आ. शिकायतकर्ता को शिकायत का उत्तर प्राप्त होने के एक वर्ष के भीतर लोकपाल को शिकायत की जाती है या, जहां कोई उत्तर प्राप्त नहीं होता है, शिकायत की तारीख से एक वर्ष और 30 दिनों के भीतर शिकायत की जाती है।
२. शिकायत कार्रवाई के उसी कारण के संबंध में नहीं है जो पहले से ही है:
 - अ. एक लोकपाल के समक्ष लंबित या एक लोकपाल द्वारा गुण-दोष के आधार पर निपटाया गया या निपटाया गया, चाहे वह एक ही शिकायतकर्ता से या एक या अधिक शिकायतकर्ताओं, या संबंधित पक्षों में से एक या अधिक से प्राप्त हो या नहीं;
 - आ. किसी भी न्यायालय के समक्ष लंबित, न्यायाधिकरण या मध्यस्थ या किसी अन्य मंच या प्राधिकरण; या, किसी भी न्यायालय, न्यायाधिकरण या मध्यस्थ या किसी अन्य मंच या प्राधिकरण द्वारा तय किया गया है या नहीं, चाहे एक ही शिकायतकर्ता से या संबंधित शिकायतकर्ताओं/पक्षों में से एक या अधिक के साथ प्राप्त किया गया हो या नहीं।
३. शिकायत प्रकृति में अपमानजनक या तुच्छ या कष्टप्रद नहीं है;
४. ऐसे दावों के लिए परिसीमा अधिनियम, 1963 के तहत निर्धारित परिसीमा की अवधि की समाप्ति से पहले विनियमित इकाई को शिकायत की गई थी;
५. शिकायतकर्ता योजना के खंड 11 में निर्दिष्ट पूरी जानकारी प्रदान करता है;
६. शिकायतकर्ता द्वारा व्यक्तिगत रूप से या एक वकील के अलावा किसी अन्य अधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से शिकायत दर्ज की जाती है, जब तक कि वकील पीड़ित व्यक्ति न हो।

तीन. लोकपाल योजना, 2021 के तहत शिकायत की गैर-रखरखाव के आधार वे हैं जिनमें निम्नलिखित मामले शामिल हैं

- अ. आरई का वाणिज्यिक निर्णय/वाणिज्यिक निर्णय;
- आ. एक आउटसोर्सिंग अनुबंध से संबंधित एक विक्रेता और एक आरई के बीच विवाद;
- इ. शिकायत सीधे लोकपाल को संबोधित नहीं की गई;
- ई. एक आरई के प्रबंधन या अधिकारियों के खिलाफ सामान्य शिकायतें;
- उ. विवाद जिसमें एक वैधानिक या कानून प्रवर्तन प्राधिकरण के आदेशों के अनुपालन में कार्रवाई शुरू

RBSG CAPITAL PRIVATE LIMITED

CIN: U65999MH2017PTC302565

Registered Office: 1002, Floor-10, Marathon Icon, Off, Ganpatrao Kadam Marg, Opp Peninsula Corporate Park, Lower Parel (W), Mumbai-400013

Email Id: rishabb@automony.in

की जाती है;

- ऊ. सेवा भारतीय रिजर्व बैंक के नियामक दायरे में नहीं है;
- ऋ. आरई के बीच विवाद; तथा
- लृ. आरई के कर्मचारी-नियोक्ता संबंध से जुड़ा विवाद।

आरबीएसजी कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड

सीआईएन: U65999MH2017PTC302565

पंजीकृत कार्यालय: 1002, मंजिल -10, मैराथन आइकन, ऑफ, गणपतराव कदम मार्ग, प्रायद्वीप कॉर्पोरेट

पार्क के सामने, लोअर परेल (पश्चिम), मुंबई -400013

ईमेल आईडी: rishabb@automohy.in

चार. शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया:

एनबीएफसी को लिखित शिकायत

30 दिनों के अंत में

यदि एनबीएफसी द्वारा शिकायत को पूरी तरह या आंशिक रूप से खारिज कर दिया जाता है और ग्राहक प्रतिक्रिया से असंतुष्ट रहता है या एनबीएफसी से कोई जवाब प्राप्त नहीं होता है और यदि ग्राहक ने किसी अन्य मंच से संपर्क नहीं किया है

लोकपाल के पास शिकायत दर्ज करने के लिए

(एनबीएफसी से उत्तर प्राप्त होने के एक वर्ष के भीतर; या यदि एनबीएफसी से कोई उत्तर प्राप्त

नहीं होता है तो एक वर्ष और 30 दिनों के भीतर)

अ) सीएमएस पोर्टल (<https://cms.rbi.org.in>); या

आ) इलेक्ट्रॉनिक या भौतिक मोड से केंद्रीकृत रसीद और प्रसंस्करण केंद्र (सीआरपीसी)

ई-मेल: CRPC@rbi.org.in

पता:

केंद्रीकृत रसीद और प्रसंस्करण केंद्र (सीआरपीसी),

भारतीय रिज़र्व बैंक,

4 वीं मंजिल, आरबीआई भायखला कार्यालय भवन,

मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन के सामने,

भायखला, मुंबई-400 008

एसटीडी कोड: 022

पाँच. अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष अपील:

लोकपाल कार्यालय द्वारा शिकायत के निर्णय या अस्वीकृति से व्यथित शिकायतकर्ता, अधिनिर्णय प्राप्त होने या शिकायत की अस्वीकृति की तारीख से 30 दिनों के भीतर, कार्यकारी निदेशक, उपभोक्ता शिक्षा और संरक्षण विभाग (सीईपीडी), आरबीआई के पास अपील कर सकता है।

अपीलीय प्राधिकारी, यदि यह संतुष्ट है कि शिकायतकर्ता के पास समय के भीतर अपील नहीं करने का पर्याप्त कारण था, तो 30 दिनों से अधिक की अवधि की अनुमति नहीं दे सकता है।

छः. शिकायतों का समाधान:

लोकपाल के समक्ष कार्यवाही प्रकृति में सारांश है।

सुविधा, सुलह या मध्यस्थता के माध्यम से निपटान को बढ़ावा देता है। यदि नहीं पहुंचा जाता है, तो

आरबीएसजी कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड

सीआईएन: U65999MH2017PTC302565

पंजीकृत कार्यालय: 1002, मंजिल -10, मैराथन आइकन, ऑफ, गणपतराव कदम मार्ग, प्रायद्वीप कॉर्पोरेट

पार्क के सामने, लोअर परेल (पश्चिम), मुंबई -400013

ईमेल आईडी: rishabb@automohy.in

पुरस्कार/आदेश जारी कर सकते हैं

तेरह. अत्यधिक ब्याज प्रभारित होने पर विनियमन

- अ) कंपनी धन की लागत, मार्जिन और जोखिम प्रीमियम आदि जैसे प्रासंगिक कारकों को ध्यान में रखते हुए एक ब्याज दर मॉडल अपनाएगी और ऋण और अग्रिमों के लिए प्रभारित की जाने वाली ब्याज दर निर्धारित करेगी। ब्याज की दर और जोखिम के उन्नयन के लिए दृष्टिकोण और उधारकर्ताओं की विभिन्न श्रेणियों के लिए ब्याज की अलग-अलग दर वसूलने के औचित्य का खुलासा उधारकर्ता को आवेदन पत्र में किया जाएगा और स्वीकृति पत्र में स्पष्ट रूप से सूचित किया जाएगा।
- आ) ब्याज दरों और विभेदक दर के लिए जोखिमों के श्रेणीकरण के लिए दृष्टिकोण भी कंपनी की वेबसाइट पर उपलब्ध कराया जाएगा या संबंधित समाचार पत्रों में प्रकाशित किया जाएगा। वेबसाइट में प्रकाशित या अन्यथा प्रकाशित जानकारी को ब्याज दरों में बदलाव होने पर अपडेट किया जाना चाहिए।
- इ) ब्याज की दर वार्षिक दरें होनी चाहिए ताकि उधारकर्ता को उन सटीक दरों के बारे में पता चल सके जो खाते से ली जाएंगी।
- ई) ऋण की मंजूरी की तारीख या ऋण समझौते के निष्पादन की तारीख के बजाय ग्राहक को धन के वास्तविक संवितरण की तारीख से ब्याज लिया जाएगा।
- उ) चेक द्वारा वितरित किए जा रहे ऋणों के मामले में, जहां चेक की तारीख से ब्याज लिया जाता है, कंपनी ग्राहक को चेक सौंपने में देरी से बचाएगी।
- ऊ) महीने के दौरान ऋण के वितरण या पुनर्भुगतान के मामले में, ब्याज केवल उस अवधि के लिए लिया जाएगा जिसके लिए ऋण पूरे महीने के बजाय बकाया था।
- ऋ) ऐसे मामले में जहां एक या अधिक किश्तें अग्रिम रूप से एकत्र की जाती हैं तो अग्रिम राशि को ब्याज लेने के लिए पूरी ऋण राशि से बाहर रखा जाएगा।
- ल) आरबीआई/2014-15/12 डीएनबीएस (पीडी) पर जारी परिपत्र के अनुसार। CC.NO 399/03.10.42/2014-15 दिनांक 14 जुलाई, 2014 को, कंपनी व्यक्तिगत उधारकर्ताओं को व्यवसाय के अलावा अन्य उद्देश्यों के लिए स्वीकृत किसी भी फ्लोटिंग दर सावधि ऋण पर फौजदारी शुल्क/पूर्व-भुगतान दंड नहीं लेगी।

चौदह. शारीरिक/दृष्टिबाधित लोगों को ऋण सुविधाएं

कंपनी ने अपनी ऋण स्वीकृति प्रक्रिया को इस तरह से तैयार किया है कि यह विकलांगता के आधार पर शारीरिक/दृष्टिबाधित आवेदकों को ऋण सुविधाओं सहित उत्पादों और सुविधाओं का विस्तार करते समय किसी भी प्रकार के भेदभाव को प्रतिबंधित करता है। कंपनी की सभी शाखाएं ऐसे व्यक्तियों को विभिन्न व्यावसायिक सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए हर संभव सहायता प्रदान करती हैं। उपयुक्त मॉड्यूल भी शामिल है जिसमें सभी स्तरों पर उनके कर्मचारियों के लिए आयोजित सभी प्रशिक्षण कार्यक्रमों में कानून और अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों द्वारा गारंटीकृत विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों को शामिल किया गया है। इसके अलावा, कंपनी मौजूदा शिकायत निवारण तंत्र के तहत दिव्यांगजनों की शिकायतों का निवारण सुनिश्चित करती है।

आरबीएसजी कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड

सीआईएन: U65999MH2017PTC302565

पंजीकृत कार्यालय: 1002, मंजिल -10, मैराथन आइकन, ऑफ, गणपतराव कदम मार्ग, प्रायद्वीप कॉर्पोरेट

पार्क के सामने, लोअर परेल (पश्चिम), मुंबई -400013

ईमेल आईडी: rishabb@automohy.in

पंद्रह. सामान्य

- अ) कंपनी ऋण की मंजूरी के नियमों और शर्तों में प्रदान किए गए उद्देश्यों को छोड़कर उधारकर्ता के मामलों में हस्तक्षेप करने से बच जाएगी (जब तक कि नई जानकारी, उधारकर्ता द्वारा पहले प्रकट नहीं की गई हो, ऋणदाता के ध्यान में नहीं आई है)।
- आ) उधारकर्ता से या किसी ऋणदाता से, जो खाते को अपने कब्जे में लेने का प्रस्ताव करता है, उधार खाते के अंतरण के लिए अनुरोध प्राप्त होने के मामले में, सहमति या अन्यथा अर्थात् कंपनी की आपत्ति, यदि कोई हो, अनुरोध प्राप्त होने की तारीख से 21 दिनों के भीतर सूचित की जाएगी। इस तरह का हस्तांतरण कानून के अनुरूप पारदर्शी संविदात्मक शर्तों के अनुसार होगा।
- इ) कंपनी अपराधी उधारकर्ता को सुबह 08:00 बजे से शाम 07:00 बजे के बीच बुलाएगी। जब तक कि उधारकर्ता के व्यवसाय की विशेष परिस्थितियों में उन्हें उल्लिखित घंटों के बाहर अन्यथा कॉल करने की आवश्यकता न हो।
- ई) कंपनी अपराधी उधारकर्ता से प्रभारित सुरक्षा को लागू करने की व्यवस्था कर सकती है, यदि आवश्यक हो, केवल इस तरह की प्रवर्तन कार्रवाई के बकाया, लागत और खर्चों की वसूली करने के उद्देश्य से।
- उ) कंपनी यह सुनिश्चित करेगी कि उसकी सुरक्षा, मूल्यांकन और प्राप्ति को लागू करने की पूरी प्रक्रिया निष्पक्ष और पारदर्शी हो।

सोलह. प्रतिक्रिया और सुझाव

हम अपने उधारकर्ताओं से अनुरोध करते हैं कि वे हमारी सेवाओं को बेहतर बनाने में हमारी मदद करने के लिए हमारी सेवा पर प्रतिक्रिया प्रदान करें।

सत्रह. ओवरराइडिंग प्रभाव

यदि इस नीति में निहित कोई भी खंड समय-समय पर जारी और संशोधित किए जाने वाले आरबीआई के लागू दिशानिर्देशों को ओवरराइड करता है, तो आरबीआई के दिशानिर्देशों में निर्धारित प्रावधान इस नीति की सामग्री को ओवरराइड करेंगे।

अठारह. समीक्षा

निदेशक मंडल समय-समय पर फेयर प्रैक्टिस कोड में किसी भी संशोधन की समीक्षा और अनुमोदन करने के लिए अधिकृत है।



श्री ऋषभ बाफना
निदेशक

आरबीएसजी कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड

सीआईएन: U65999MH2017PTC302565

पंजीकृत कार्यालय: 1002, मंजिल -10, मैराथन आइकन, ऑफ, गणपतराव कदम मार्ग, प्रायद्वीप कॉर्पोरेट

पार्क के सामने, लोअर परेल (पश्चिम), मुंबई -400013

ईमेल आईडी: rishabb@automohy.in

दीन: 06492455

स्थान: मुंबई

(मूल रूप से अपनाया गया: 08/01/2024)